संख्या- 11/2022/825ई-2/तेरह-2022-131/17टीसी

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक::04मई, 2022

विषय- मेसर्स गोविन्द शुगर मिल्स लि., ऐरा आसवनी, लखीमपुर खीरी को केन जूस/शुगर सीरप से एथनाल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-148/दो-प्रा.डी.-162, दिनांक 18-04-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-04-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश हित एवं राजस्व हित में मेसर्स गोविन्द शुगर मिल्स लि., ऐरा आसवनी, लखीमपुर खीरी को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई को शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों तथा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 09-03-2022 द्वारा गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल उत्पादन करने हेतु निर्गत अनापत्ति पत्र में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:-

(1) आसवक द्वारा केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का निर्माण किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ-साथ केन जूस/शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति आदेश दिनांक 23.12.2021 में उल्लिखित शर्तें।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए एथनॉल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) आसवनी में केन जूस से एथनॉल उत्पादन किये जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी। आसवनी द्वारा केन जूस से एथनॉल उत्पादन में प्रयोग किये गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी-हैवी/बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।